

न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)
पीठासीन अधिकारी : इन्द्रजीत सिंह आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 29/2015 (नि.पं.)
पंजीयन दिनांक 01.09.2015

श्री रमेशचन्द्र पुत्र श्री बद्रीलाल जोशी उम्र वयस्क निवासी बिजयपुर तहसील एवं
जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

-निगराकार

बनाम

1-श्री बाबूलाल पुत्र श्री नानालाल जाति तेली उम्र वयस्क निवासी बिजयपुर
तहसील एवं जिला चित्तौड़गढ़
2-ग्राम पंचायत बिजयपुर जरिये सचिव ग्राम पंचायत बिजयपुर

-विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायत राज. अधिनियम 1994 विरुद्ध ग्राम
पंचायत बिजयपुर पट्टा क्रमांक - वर्ष 06-07 बुक नं. 34 रजि. क्र.नं. 5 जारी
दिनांक 19.08.06

उपस्थिति : 1-श्री राकेश कुमार जैन, अधिवक्ता, निगराकार
2-श्री कैलाश चन्द्र झंवर, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1

निर्णय

दिनांक 24.07.2018



निगराकार द्वारा यह निगरानी इस आशय की प्रस्तुत की है कि ग्राम पंचायत द्वारा विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में अनुसूचित जाति व जनजाति कारीगरों लघू सीमांत कृषक को आबादी भूमि में रियायती दर से आवासीय पट्टा जारी करने के प्रावधानों के अन्तर्गत पट्टा जारी किया जबकि विपक्षी संख्या 1 न तो अनुसूचित जाति का है और नही जनजाति का है विपक्षी क्रमांक 1 बी. पी. एल. भी नहीं है जबकि उसके पास काफी चल अचल सम्पत्ति है विपक्षी संख्या 1 ने राज्य सरकार द्वारा गरीबों को आवास योजना उपलब्ध कराने के लिए चलाई गई योजना का अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए तत्समय के सरपंच एवं सचिव से दुर्भिसंधि कर निः शुल्क पट्टा जारी कराया है जिसका विपक्षी संख्या 1 कतई पात्र नहीं था। विपक्षी संख्या 1 को उक्त पट्टा जारी करने से पूर्व ग्राम पंचायत द्वारा पंचायती राज नियमों की कोई पालना नहीं की गई है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर विपक्षी संख्या 1 को जारी किया गया पट्टा निरस्त फरमावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सूचना पत्र जारी किये गये। ग्राम पंचायत से पट्टे से संबंधित पत्रावली तलब की गई। तलबीदा पत्रावली के संबंध में ग्रामसेवक एवं पदेन सचिव, ग्राम पंचायत बिजयपुर का पत्रांक/ग्रा.पं. /2015-16/25 दिनांक 21.09.2015 प्राप्त हुआ कि उक्त पट्टे से संबंधित पत्रावली/रेकार्ड ग्राम पंचायत में उपलब्ध नहीं है। पत्र शामिल पत्रावली किया गया। विपक्षीगण बावजूद सूचना के अनुपस्थित। उसके पश्चात् पुनः विपक्षी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री कैलाश चन्द्र झवंर ने अधिकार पत्र पेश किया। विपक्षी संख्या 1 के बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने पर भी उन्हें न्यायहित में अवसर प्रदान किया गया। विपक्षी संख्या 1 ने प्राथमिक आपत्तियां मय न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत की। विकास अधिकारी, पंचायत समिति चित्तौड़गढ़ से पट्टे के संबंध में जांच रिपोर्ट तलब की गई। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

अधिवक्ता निगराकार ने आवेदन में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम पंचायत बिजयपुर ने विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में अनुसूचित जाति व जनजाति, कारीगरों, लघू सीमांत कृषक को आबादी भूमि में से रियायती दर से पट्टा जारी करने के प्रावधानों के तहत पट्टा जारी किया है जबकि विपक्षी संख्या 1 न तो अनुसूचित जाति का है न जनजाति का है और न ही लघू सीमांत कृषक है। विपक्षी संख्या 1 इसका पात्र न होते हुए ग्राम पंचायत ने प्रावधानों की अनदेखी कर विशेष अनुकम्पा विपक्षी संख्या 1 पर करके प्रश्नगत पट्टा जारी किया है। ग्राम पंचायत ने प्रश्नगत पट्टा विपक्षी संख्या 1 को बी. पी. एल. सदस्य होने का उल्लेख करते हुए जारी किया है जबकि वह बी. पी. एल. नहीं है। विपक्षी संख्या 1 की बिजयपुर में काफी चल-अचल सम्पत्ति के अलावा कृषि भूमि भी है जिससे वह किसी प्रकार से न तो गरीब-तबके के परिवार का है और न ही बी. पी. एल. है। विपक्षी संख्या 1 ने राज्य सरकार द्वारा गरीबों को आवास योजना उपलब्ध कराने के लिए चलाई गई योजना का अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए तत्समय के सरपंच एवं सचिव से दुर्भिसंधि कर निः शुल्क पट्टा जारी कराया है जिसका विपक्षी संख्या 1 कतई पात्र नहीं था। प्रश्नगत भूमि तत्समय न तो विक्रय के लिए और न ही आवंटन के लिए उपलब्ध थी प्रश्नगत भूमि को सम्मिलित करते हुए करीब 125 बाई 160 फीट भूमि पर प्रार्थी एवं श्री रज्जाक मोहम्मद (जिनका अब निधन हो गया) का आधिपत्य उनके पुरखों के समय से करीब 70-80 वर्ष से चला आ रहा है। इस प्रकार प्रश्नगत भूमि पर प्रार्थी व रज्जाक मोहम्मद का पहले से ही कब्जा होकर यह ओक्यूपाईड भूमि है जो विक्रय या आवंटन हेतु कतई उपलब्ध नहीं थी। उक्त भूमि ग्राम पंचायत के अन-ओक्यूपाईड भूमि के रजिस्टर में भी नहीं है। इस प्रकार विपक्षी संख्या 1 ने छल-कपट से तत्समय के सरपंच एवं सचिव से मिलीभगत कर राज्य सरकार की गरीबों के लिए चलाई गई योजना का गलत लाभ प्राप्त कर पट्टा प्राप्त किया है जो निरस्त योग्य है। अतः निगरानी स्वीकार फरमाई जाकर विवादित पट्टा निरस्त फरमावें।



अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1 ने कथन किया कि विपक्षी संख्या 1 को ग्राम पंचायत बिजयपुर द्वारा जो पट्टा जारी किया है वह विधि-सम्मत होकर नियमानुसार प्रक्रिया अपनाकर जारी किया है। ग्राम पंचायत के आदेश के विरुद्ध अपील करने का प्रावधान है। निगराकार को उक्त आदेश के विरुद्ध संबंधित अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करनी चाहिए थी जो नहीं की गई है। निगराकार द्वारा जो निगरानी प्रस्तुत की गई है वह मेन्टनेबल नहीं है क्योंकि जो आदेश अपीलीय हो उसकी निगरानी नहीं हो सकती व कलेक्टर इस प्रकार की निगरानी स्वीकार नहीं कर सकता। अतः निगरानी निरस्त फरमाई जावे।

हमने पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया। अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस पर मनन किया एवं अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों से मार्गदर्शन प्राप्त किया। प्रकरण में सर्वप्रथम यह सुनिश्चित किया जाना है कि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के अन्तर्गत ग्राम पंचायत के आदेश के विरुद्ध अपील का प्रावधान होने की स्थिति में प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र मेन्टनेबल है अथवा नहीं। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 61 के अन्तर्गत पंचायत के आदेशों की अपील पंचायत समिति को 30 दिवस के भीतर-भीतर किये जाने का प्रावधान है। इसी प्रकार अधिनियम की धारा 97 के अन्तर्गत किसी भी पंचायती राज संस्था या उसकी किसी स्थाई समिति या उप समिति का अभिलेख उनमें पारित किसी भी विनिश्चय या आदेश के सही होने उसकी विधिकता या औचित्य के बारे में या ऐसी कार्यवाहियों की नियमितता के बारे में पुनरीक्षण और पुनरावलोकन की शक्तियाँ जिला कलेक्टर को प्रदत्त की गई है। अधिनियम के उक्त प्रावधानों से यह स्पष्ट है कि धारा 61 के तहत किये गये अपील प्रावधानों के अन्तर्गत यदि कोई व्यक्ति अपील नहीं करता है तो धारा 97 के अन्तर्गत निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने में किसी प्रकार की रोक नहीं है। क्योंकि धारा 97 के तहत जिला कलेक्टर को पुनरीक्षण और पुनरावलोकन की शक्तियाँ प्रदान की गई है जो एक्ट्टा ऑर्डिनरी ज्युरिडिक्शन की श्रेणी में आता है। अतः विपक्षी संख्या 1 के अधिवक्ता का कथन की जो आदेश अपीलीय हो उसकी निगरानी नहीं हो सकती, निगरानी विलम्ब से प्रस्तुत की गई है व कलेक्टर इस प्रकार की निगरानी स्वीकार नहीं कर सकता है, मानने योग्य नहीं है।

विकास अधिकारी, पंचायत समिति, चित्तौड़गढ़ द्वारा उक्त पट्टे के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि प्रार्थी अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग से नहीं है परन्तु बी. पी. एल. सूची 1997 के क. सं. 09941 से बी. पी. एल. श्रेणी में आता है जिससे तत्कालिन प्रशासन द्वारा बाबूलाल/नानालाल तेली नि. बिजयपुर को यह पट्टा जारी किया गया। चूंकि बी. पी. एल. की प्रक्रिया ग्राम सभा के तहत अनुमोदन होकर सर्वसम्मति से सदन में पढ़ी जाकर तैयार की जाती है जिससे विपक्षी संख्या 1 को बी. पी. एल. में अवैध व फर्जी नहीं माना जा सकता। बिजयपुर में विपक्षी संख्या 1 के पास चल-अचल सम्पत्ति के नाम पर एक दो मंजिला पक्का मकान होकर निवासरत है तथा हल्का पट्टवारी बिजयपुर की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी के पास कृषि भूमि उपलब्ध है। तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रशासन



द्वारा भूमि के विक्रय के आवंटन हेतु प्रकाशन किया गया या नहीं या ऐसे प्रार्थियों की सूची बनाई गई या नहीं या पंचायतराज अधिनियम के अन्तर्गत समस्त नियमों का पालन किया गया अथवा नहीं तथा आपत्ति सूचना पत्र का प्रकाशन कराया या नहीं इसका सत्यापन, तत्समय का रेकार्ड ग्राम पंचायत में उपलब्ध नहीं होने से किया जाना सम्भव नहीं है। गांव के पुराने मौत बिरानों से की गई जानकारी अनुसार श्री रज्जाक मोहम्मद का 40-50 वर्षों से कब्जा था जिसे उसने 15-20 वर्ष पूर्व श्री रमेशचन्द्र जोशी को सौंप दिया एवं तब भूमि पर केवल पत्थर पड़े हुए थे परन्तु वर्तमान में आज की स्थिति में समस्त भू-भाग खाली पड़ा हुआ है।

राज. पंचायती राज नियम 1996 के नियम 158 के अनुसार:-“पंचायत गांव आबादियों में, 150 वर्ग गज तक की आबादी भूमि अनुसूचित जातियों, स्वच्छकारों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों के सदस्यों, गांव के कारीगरों, श्रम मजदूरी पर आधारित भूमिहीन व्यक्तियों एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम में चयनित परिवारों, विकलांगों आदि जिनके पास स्वयं के गृहस्थल/गृह नहीं है, और ऐसे बाढ़ग्रस्तों को भी जिनके गृह बह गये हैं या गृह स्थल बाढ़ के कारण भावी निवास हेतु अयोग्य हो गये हैं, रियायती दरों पर आवंटित कर सकेगी तथा उप नियम 2 के तहत ऐसी भूमियों को व्यक्तियों को कुछ श्रेणियों के लिए निः शुल्क भी आवंटित कर सकेगी।” लेकिन उक्त नियम के तहत जारी विक्रय विलेख की शर्त संख्या 8 के अनुसार आवंटन दिनांक से दो वर्ष के अन्दर मकान या झोंपड़ा बनाना अनिवार्य माना गया है यदि दो वर्ष की अवधि के अन्दर वह निर्माण नहीं करता है तो भूखण्ड को वापस प्राप्त करने का अधिकार आवंटन अधिकारी का होगा, परन्तु उक्त समयावधि में विपक्षी संख्या 1 द्वारा विवादित भूमि पर किसी प्रकार से निर्माण नहीं किया गया है तथा न ही विपक्षी संख्या 1 इस श्रेणी के अन्तर्गत आता है।

विपक्षी संख्या 1 का नाम बी. पी. एल. सूची 1997 में क्र.सं. 09941 पर दर्ज है जबकि विकास अधिकारी की रिपोर्ट अनुसार विपक्षी संख्या 1 के पास बिजयपुर में दो मंजिला रिहायशी मकान एवं कृषि भूमि स्थित है जिससे प्रथम दृष्टया विपक्षी संख्या 1 द्वारा अपना नाम बी. पी. एल. में अनुचित तरीके से दर्ज कराना प्रतीत होता है।

ग्राम पंचायत से संबंधित पत्रावली तलब करने पर ग्रामसेवक एवं पदेन सचिव द्वारा ग्राम पंचायत के रेकार्ड में उक्त पत्रावली उपलब्ध नहीं होने का अंकन करना इस तथ्य को बल देता है कि ग्राम पंचायत द्वारा भूखण्ड आवंटन से पूर्व पत्रावली कायम ही नहीं की गई। पंचायत के सदस्यों द्वारा पर्चा मौका एवं नक्शा भी नहीं बनाया गया, न ही निः शुल्क आवंटन किये जाने के संबंध में कोई प्रस्ताव पारित किया तथा न ही आपत्तियां आमन्त्रित की गयी है। इस प्रकार पंचायती राज अधिनियमों की पालना नहीं की गई है तथा तत्कालीन सरपंच एवं सचिव द्वारा विपक्षी संख्या 1 को अनुचित लाभ प्रदान करने की नियत से उक्त पट्टा जारी किये जाने की पुष्टि होती है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रस्तुत निगरानी स्वीकार योग्य पाई जाती है।



अतः निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में वर्ष 06-07 में बुक नं. 34 से जारी पट्टा दिनांक 19.08.2006 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण ग्राम पंचायत, बिजयपुर को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त तथ्यों के संबंध में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के तहत पुनः जांच कर प्रचलित प्रावधानों के तहत सभी पक्षकारान को सुना जाकर पुनः नए सिरे से पट्टा जारी करने की कार्यवाही करें।

‘निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।’

(इन्द्रजीत सिंह)

